"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014— फाल्गुन 14, शक 1935

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-2/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (4) में शब्द एवं अंक "10 वर्ष" के स्थान पर शब्द एवं अंक "05 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. उपरोक्त संशोधन एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उक्त अवधि के अवसान होने पर, ऐसा पढ़ा जायेगा और अर्थ लगाया जायेगा मानों संशोधन हुआ ही नहीं था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ 11-2/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F 11-2/2008/25-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Education Cadre (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In column (4) of serial number 3 of Schedule-IV, for the word and figure "10 years" the word and figure "05 years" shall be substituted.

2. The above amendment shall be in force for a period of one year and on the said period, it shall be read and constured as if the amendment was not made therein.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. KUNJAM, Jonit Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.